

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :- 132/2021

प्रार्थी :-

श्री अजय पराडिया पुत्र श्री बाबुलाल कौम मीणा साकिन कृषि मण्डी के पास,
बालोतरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये साल्ट डिपार्टमेंट लवण विभाग, डीडवाना,
जिला नागोर।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण 1 श्री राजेन्द्र कुमार गेहलोत प्रार्थी वकील

आदेश

दिनांक :- 25.08.2021

प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थी के खेत खसरा न० 273/28. में जाने के लिए खेत खसरा न० 290/27 रकबा 2171-11 किस्म गै० मु० खार में से 30 फीट चौड़ा रास्ता, जो रास्ते के उपयोग व उपाभोग हेतु अपने खातेदारी भूमि में आवागमन व कृषि प्रयोजनार्थ नया रास्ता घोषित कराना हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/1056 दिनांक 23.08.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा सांभरा में आवेदक के नाम खातेदारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 290/27 किस्म गै०मु० खार जो लवण विभाग के नाम खातेदारी भूमि राजस्व रेकॉर्ड दर्ज है। में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है जो उपयुक्त एवं निकटत है। जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी०एल०सी० दर 392040/ रूपये प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 0-07 बीघा भूमि बनती है।

प्रार्थी वकील एवं राजकीय परोकार सरकार की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अप्लोकन किया व अध्ययन किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा सांभरा के खेत खसरा न० 290/27 किस्म गै०मु० खान में से न्यूनतम दूरी का संभाव्य है। जो पुरत पर अंकित नजरी नचित्र में बताए अनुसार कुल रकबा 0-07 बीघा होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जांच की गई जिसके अनुसार मौजा सांभरा के खसरा संख्या 290/27 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत से नया मार्ग नक्शा परिधिष्ट -'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थी के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।



उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खेत खसरा न० 273/26 में जाने के लिए खेत खसरा न० 290/27 रकबा 2171-11 किस्म गै० मु० खार मौजा साभंरा पटवार हल्का खेड तहसील जिला बाडमेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 290/27 में से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट - 'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट 392040/- प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए कुल 0-07 बिस्वासी भूमि की राशि 137250 रुपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रुपये 274500/- रुपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाए।



(नरेश सिनी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा